प्रेस नोट **दिनांक 16/07/2026**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दिलाई गई शपथ-

जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज पुलिस कार्यालय मऊ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि जल का संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह जल का सदुपयोग करे, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे तथा अपने घर, कार्यालय एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करे। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्वयं इन संकल्पों का पालन करने तथा आमजन को भी जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जल की प्रत्येक बूंद को बचाने, स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग से बचने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहने का सामूहिक संकल्प लिया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक एव समस्त शाखा प्रभारी तथा पुलिस कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

दुकान में चोरी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी के रुपयी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में दिनांक 16/07/2026 को थाना हलधरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भुडसुरी मोड़ से मु0अ0सं0- 147/2026 धारा 305(a) व 317(2) BNS से संबंधितत अभियुक्त अभिनव उर्फ साहिल गुप्ता निवासी पुत्र जितेन्द्र गुप्ता। चक आजम, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर के कब्जे से जामा तलाशी में अभियुक्त के पास से चोरी के ₹1,700 नकद व घटना में प्रयुक्त काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14 जुलाई 2026 को रतनपुरा बाजार में किराये की दुकान पर करीब 20 वर्षों से पान का होलसेल व्यवसाय करने वाले पीड़ित अमित चौरसिया (पुत्र ओमप्रकाश चौरसिया, निवासी ग्राम बेलौझा) अपनी दुकान का शटर गिराकर चाय-नाश्ता करने गए थे। इसी दौरान एक अज्ञात चोर ने शटर उठाकर काउंटर में रखी काली पन्नी से करीब ₹17,000 चोरी कर लिए।

सामने के फल विक्रेता संजय चौहान द्वारा देख लिए जाने पर, चोर घबराकर पन्नी का कुछ पैसा (₹4,000) संजय चौहान के ऊपर फेंककर अपनी मोटरसाइकिल (नंबर: UP61BM1226) से फरार हो गया था। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर पर थाना हलधरपुर में मु0अ0सं0- 147/2026 धारा 305(a) व 317(2) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:

1. अभिनव उर्फ साहिल गुप्ता (उम्र करीब 25 वर्ष), पुत्र जितेन्द्र गुप्ता। निवासी: चक आजम, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर।

बरामदगी:

1. जामा तलाशी में अभियुक्त के पास से चोरी के ₹1,700 नकद (100 रुपये के 15 नोट और 200 रुपये का 1 नोट) बरामद हुए।
2. घटना में प्रयुक्त काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नं0- UP61BM1226, चेचिस नं0- MBLHAW214RHE09144, इंजन नं0- HA11E7RHE14055)।

हाइवे पर ट्रैक्टर के उपर चढकर स्टंटबाजी करते हुए रील बनाने वाले दो युवक के विरुद्ध कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन में हाईवे पर स्टंटबाजी करने वाले को विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ज मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला की पुलिस टीम द्वारा हाईवे पर ट्रैक्टर के उपर चढ़कर स्टंटबाजी करते हुए वायरल हुई रील के सम्बन्ध में जांच की गयी तो जांच से तथ्य प्रकाश में आया कि करीब 01 माह पूर्व में घर पर खड़े ट्रैक्टर को रामपुर चकिया फ्लाई ओवर के उपर हाइवे पर ले जाकर 1. नितेश यादव पुत्र रमई यादव 2. संदीप यादव पुत्र राजेन्द्र निवासीगण रामपुर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा ट्रैक्टर पर चढकर स्टंटबाजी करते हुए रील बनायी गयी थी उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आज दिनांक 16.07.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा रामपुर चकिया फ्लाई ओवर के पास से ही 1. नितेश यादव पुत्र रमई यादव 2. संदीप यादव पुत्र राजेन्द्र निवासीगण रामपुर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को स्टंट में इस्तेमाल किये गये ट्रैक्टर के साथ पकड़ लिया गया तथा दोनो युवको के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल लायी जा रही है तथा ट्रैक्टर को एम०वी० एक्ट के अन्तर्गत सीज कर दिया गया है।

हिरासत में लिये गये युवको का विवरण-

1. नितेश यादव पुत्र रमई यादव निवासी रामपुर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 2. संदीप यादव पुत्र राजेन्द्र निवासी रामपुर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 16.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 29 टीम गठित कर जनपद के 35 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1200 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 392 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 06 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 14299 /-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित, माहावीर यादव निवासी भटौली भटमिला थाना घोसी जनपद मऊ मोबाइल- OnePlus साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।